न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राजस्थान)

प्रा.पत्र संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/298/2022	2022/509	22.11.2022	06.02.2023

—उनवान—

1. राजबीर सिंह पुत्र स्व0 प्रीतम सिंह उर्फ पीताम्बर सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम आगर तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0।

—प्रार्थी

बनाम

1. मु0 धन्नी देवी पत्नी स्व0 रामेश्वर जाति जोगी
2. ओम प्रकाश उर्फ प्रकाश पुत्र स्व0 रामेश्वर जाति जोगी
3. सुन्दरलाल पुत्र स्व0 रामेश्वर जाति जोगी
4. मुकेश पुत्र स्व0 रामेश्वर जाति जोगी
5. योगेश पुत्र स्व0 रामेश्वर जाति जोगी निवासीयान ग्राम आगर तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0।
6. बर्फी पुत्री स्व0 रामेश्वर पत्नी जगन्नाथ जाति जोगी निवासी ग्राम मानकोट तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0।
7. तारा देवी पुत्री स्व0 रामेश्वर पत्नी हजारी जाति जोगी निवासी ग्राम मानकोट तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0।
8. इन्दिरा देवी पुत्री स्व0 रामेश्वर पत्नी संतोषनाथ जाति जोगी निवासी ग्राम पापड़ी तहसील बैराठ (विराट नगर) जिला जयपुर राज0।
9. मैना पुत्री स्व0 रामेश्वर पत्नी पूरणनाथ जाति जोगी निवासी ग्राम पापड़ी तहसील बैराठ (विराट नगर) जिला जयपुर राज0।
10. तहसीलदार थानागाजी जिला अलवर राज0।

—असल अप्रार्थीगण

11. तेजवीर सिंह पुत्र स्व0 प्रीतम सिंह उर्फ पीताम्बर सिंह
12. जगवीर सिंह पुत्र स्व0 प्रीतम सिंह उर्फ पीताम्बर सिंह
13. उदयसिंह पुत्र महावीर सिंह पौत्र प्रीतम सिंह उर्फ पीताम्बर सिंह
14. हेमसिंह पुत्र महावीर सिंह पौत्र प्रीतम सिंह उर्फ पीताम्बर सिंह
15. रूपसिंह पुत्र महावीर सिंह पौत्र प्रीतम सिंह उर्फ पीताम्बर सिंह निवासीयान ग्राम आगर तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0।

—तरतीबी अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र मुन्तकिल

उपस्थितः—

01. श्री कमल सिंह पोसवाल — —वकील प्रार्थी
02. श्री देवेन्द्र कुमार जैन — —वकील असल अप्रार्थीगण

—:: निर्णय ::—

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र मुन्तकिल पेश कर तहसीलदार थानागाजी के न्यायालय में विचाराधीन वाद उनवान रामेश्वरनाथ बनाम राजबीर सिंह वगै0 को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर तलब किया गया।

विद्वान वकील प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मुंतकिल के सूक्ष्म तथ्य इस प्रकार है कि इंतकाल सं0 182 वाके ग्राम आगर तहसीलदार थानागाजी के समक्ष विचाराधीन है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कॉविड—19 के कारण पेशीयां नहीं दी जा रही थी। गत पेशी दि0 08.01.2021 को

जिला कलक्टर, अलवर

प्रार्थी के वकील न्यायालय में उप0 हुये। उस रोज मिन प्रार्थी गाड़ी लेकर वहार गया हुआ था। स्वंय उप0 नहीं हो सका। वकील सा0 को दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा सका। दस्तावेज पेश करने हेतु अवसर चाहा। किन्तु तहसीलदार ने अंतिम अवसर देते हुए दि0 15.01.2021 नियत कर दी और कहां कि आवश्यक रूप से बहस कर देना अन्यथा मैं फैसला कर दूंगा। अप्रार्थीगण ने प्रार्थी से कहा कि अगली पेशी पर फैसला करवा लूंगा। तहसीलदार सा0 का विगत पेशी पर जो रवैया नजर आया, इससे प्रार्थी को अन्देशा है कि प्रकरण का फैसला अप्रार्थीगण के पक्ष में कर देंगे। तहसीलदार सा0 से प्रार्थी को निष्पक्ष न्याय की उम्मीद नहीं है। प्रार्थी ने उक्त प्रकरण को मुंतकिल कराने हेतु दिनांक 12.01.2021 को माननीय न्यायालय में मुंतकिल प्रा0पत्र पेश किया था। जो दिनांक 13.09.2021 को नोटप्रेस करा लिया। प्रशासन ने तहसीलदार का चार्ज नायब तहसीलदार को दे रखा था। किन्तु बाद में तहसीलदार का चार्ज वापस ले लिया गया। जिस पर प्रार्थी ने उक्त प्रा0पत्र को नोटप्रेस कर लिया था। इसके बाद राजस्व कैम्प प्रार्थी के गांव में दिनांक 16.11.2021 को लगा तो नायब तहसीलदार ने कहा कि आपके प्रकरण में बहस सुनुंगा। प्रार्थी के वकील दिनांक 10.12.2021 को आवश्यक कार्य होने के कारण थानागाजी नहीं आ सके। उन्होनें कहा कि तुम दि0 17.12.2021 की तारीख पेश लगवा लो मैं उस दिन आकर बहस कर लूंगा। तहसीलदार के तहसील आने पर आवाज दिलवायी। प्रार्थी ने उप0 होकर प्रा0पत्र पेश कर निवेदन किया कि आज वकील सा0 नही आ पाये है। इसलिए आगामी पेशी दे दी जावे। तहसीलदार द्वारा प्रा0पत्र नहीं लिया और पत्रावली को अपने पास रख लिया। दिनांक 13.12.2021 को अप्रार्थी सं0 1 ने प्रार्थी को ऐलानिया तौर पर धमकी देते हुए कहा कि फैसला तो मैं अपने पक्ष में करवा कर रहूंगा। मेरी उपर तक सेंटिंग हो गयी है। उसके बाद प्रकरण में दि0 04.1.2022 की पेशी नियत की गयी। प्रार्थी के वकील सा0 की ऑपन हॉर्ट सर्जरी हूई है तथा वो न्यायालय में हाजिर होने में असमर्थ है। इसलिए प्रकरण में एक माह की तारीख दी जावें। पीठासीन अधिकारी द्वारा मुस्किल से मात्र 20 दिन की तारीख पेशी देते हुए आगामी पेशी दि0 25.11.2022 नियत कर दी गयी और कहा गया कि आगे कुछ नहीं सुनुंगा और फैसला कर दूंगा। पीठासीन अधिकारी प्रार्थी के विरूद्ध फैसला करने को उतारू है। अतः प्रार्थी का प्रा0पत्र मुंतकिल स्वीकार फरमाया जाकर अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन पत्रावली को किसी दीगर न्यायालय में मुंतकिल फरमाया जावें।

विद्वान वकील असल अप्रार्थीगण ने अपनी बहस के दौरान निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण सन 2015 से लम्बित है। जिसमें प्रार्थी या उसके खास भाई लगातार पैरवी कर रहे है। सन 2020 तक प्रार्थी ने कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया ना ही उनके पास उनके पक्ष के कोई दस्तावेज पेश करने योग्य है। अप्रार्थीगण गरीब मजदूर काश्तकार है। तहसीलदार थानागाजी से अप्रार्थीगण की कोई साठगांठ नहीं हुई है। प्रार्थी द्वारा समस्त कथन झूठे व कूट रचित अंकित किये है। पूर्व में प्रार्थी ने दि0 12.01.2021 को मुंतकिल प्रा0पत्र पेश किया जो दि0 13.03.2021 को खारिज हो गया। इसके बाद दि0 15.12.2021 को मुंतकिल प्रा0पत्र पेश किया जो दि0 06.06.2022 को खारिज हो गया। प्रार्थी मुंतकिल प्रा0पत्र पेश करने का आदि है। अतः प्रार्थीगण का मुन्तकिल प्रा0पत्र खारिज फरमाया जावें।

न्यायालय तहसीलदार थानागाजी द्वारा अपने जवाब में निवेदन किया कि इंतकाल सं0 182 वाके ग्राम आगर विचाराधीन है। बिन्दू सं0 02 इसलिए स्वीकार नहीं है क्योंकि कॉविड–19 के चलते पीछले एक साल से पत्रावली सुनवाई में चल रहीं है। प्रकरण काफी पुराना हो चुका है। प्रार्थी के वकील की हॉर्ट की सर्जरी होने के कारण बहस हेतु कई अवसर ले चुके है। प्रार्थी हर पीठासीन अधिकारी के खिलाफ बेबूनियाद आरोप लगाकर कई बार पत्रावली को मुंतकिल कराने का प्रा0पत्र लगा चुका है। जो खारिज भी हो चुके है। प्रार्थी को किसी भी न्यायालय से स्थगन आदेश नहीं है। प्रकरण को लम्बित रखने की नियत से मुंतकिल प्रा0पत्र पेश किये जा रहे है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थी एवं अप्रार्थी द्वारा पेश समस्त दस्तावेजात् का अवलोकन व मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बार–बार मुंतकिल प्रा0पत्र पेश करने का आदि है तथा प्रार्थी द्वारा इस प्रा0पत्र मुंतकिल के संबंध में किसी स्वतंत्र व्यक्ति का शपथ–पत्र पेश नहीं किया है। प्रार्थना पत्र मुंतकिल करने के संबंध में प्रार्थी द्वारा कोई ठोस साक्ष्य/सबूत भी पेश नहीं किये गये है। प्रार्थना–पत्र मुंतकिल खारिज योग्य है।

जिला कलक्टर, अलवर

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र मुन्तकिल खारिज किया जाता है। निर्णय प्रति अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावे। न्यायालय तहसीलदार थानागाजी प्रकरण में नियमानुसार सुनवाई कर प्रकरण का विधिवत निस्तारण करें। इस न्यायालय की पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.02.2023 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज0)

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर, अलवर
(राजस्थान)